भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.871
23 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्र

871. श्री चंदन चौहानः

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने कृषि और गन्ना उत्पादन में अग्रणी तथा उत्कृष्ट सड़क व रेलकनेक्टिविटी वाले जिले जनौर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्र के रूप में विकसित करने की क्षमता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार गन्ने, आलू, फलों और अन्य कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, भंडारण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिजनौर में एक विशेष खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र मेगा फूड पार्क स्थापित करने पर विचार कर रही है और और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोल्ड चेन, भंडारण गृह, परीक्षण प्रयोगशालाओं, पैकेजिंग और प्रसंस्करण अवसंरचनाओं को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) प्रस्तावित कार्य योजना, वित्तीय प्रावधानों और उसकी समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) उद्यमियों को अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और एक केंद्रीय प्रायोजित योजना अर्थात प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले सहित पूरे देश में संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त किया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायता बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, बिजनौर जिले के लिए गुड़ को ओडीओपी के रूप में पहचाना गया है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, बिजनौर जिले में 290 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 82 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम गुड़ प्रसंस्करण से संबंधित हैं।

(ख) से (घ) : एमओएफपीआई, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक घटक योजना, मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपीएस) को लागू कर रहा था। एमएफपी योजना का कार्यान्वयन दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है। हालाँकि, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले सहित देश भर में शीत श्रृंखला सुविधाओं, प्रसंस्करण अवसंरचना, पैकेजिंग और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) स्वयं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित नहीं करता है। हालाँकि, यह अपनी योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले सहित पूरे देश में संबंधित बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए पात्र उद्यमियों को अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये योजनाएं मांग-आधारित हैं और इनका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्यवर्धन की सहायता करना है।
